



अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय

(मध्यप्रदेश शासन के अधिनियम 2011 द्वारा स्थापित राज्य विश्वविद्यालय)

शैक्षणिक परिसर, माता निर्मला देवी मार्ग, कोलार रोड़, भोपाल (म.प्र.) – 462001

दूरभाष : 0755-2558606, वेबसाइट : www.abvhv.edu.in

विश्वविद्यालय अध्ययन केंद्र के उद्देश्य, नियम एवं शर्तें

1. उद्देश्य:

1. अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, भोपाल के स्थापित अध्ययन केन्द्र का मुख्य उद्देश्य हिंदी भाषा के विस्तार तथा प्रोन्नति के प्रयोजन तथा राष्ट्र के बेरोजगार युवा/युवतियों को शिक्षा एवं रोजगार/स्वरोजगारों से जोड़ना है तथा अध्ययन-अध्यापन से संबंधित पाठ्यक्रमों का हिंदी माध्यम से प्रचार-प्रसार कर ऐसे पिछड़े, असहाय आदिवासी क्षेत्रों को शिक्षा के माध्यम से रोजगार हेतु सही एवं मान्य माध्यम स्थापित कर सामाजिक सामंजस्य एवं सौहार्द स्थापित करना है।

2. नियम:

- कोई भी कंपनी, न्यास, कोई समिति या कोई शैक्षणिक केंद्रों या संगठन जो मध्यप्रदेश सोसाईटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्रमांक 44 सन् 1973) के अधीन रजिस्ट्रीकृत है, अध्ययन केंद्रों चलाने के लिए आवेदन कर सकेगा। विश्वविद्यालय के अध्ययन केन्द्र चलाने के लिए इच्छुक संस्था, विश्वविद्यालय द्वारा विहित किए गए प्ररूप में आवेदन कर सकेंगे। विश्वविद्यालय के पक्ष में केंद्रों से संबंधित सुसंगत जानकारी, उसके सबूत तथा दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करना होगा।
2. अध्ययन केन्द्र का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण मध्यप्रदेश क्षेत्र होगा।
3. ऐसे केंद्रों को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी जो पिछले तीन वर्षों से कुछ एकेडेमिक पाठ्यक्रम संचालित कर रहे हैं। केंद्रों को अन्य विश्वविद्यालय द्वारा संचालित एक समान एकेडेमिक पाठ्यक्रम चलाने हेतु अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।
4. विश्वविद्यालय में प्राप्त हुए समस्त आवेदनों की संवीक्षा की जाएगी। यदि कोई आवेदन विश्वविद्यालय द्वारा विहित किए गए मानदंडों के अनुरूप नहीं है और अपेक्षित दस्तावेजों से समर्थित नहीं है तो आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा।
5. विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति, अध्ययन केंद्रों का निरीक्षण करेगी। विश्वविद्यालय, निरीक्षण समिति की सिफारिश के आधार पर केंद्र स्थापित करने और चलाने की सहमति अनुज्ञा प्रदान करेगा।
6. अध्ययन केंद्र स्थापित करने की सहमति अनुज्ञा प्रदान करने के संबंध में विश्वविद्यालय का विनिश्चय शीघ्र ही केंद्रों को प्रज्ञापित किया जाएगा।
7. विश्वविद्यालय द्वारा विहित मानदंड के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया, अध्ययन केंद्रों द्वारा प्रारंभ की जाएगी और पाठ्यक्रमों को संचालित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
8. विश्वविद्यालय को यह अधिकार होगा कि वह केंद्रों का किसी भी समय निरीक्षण करे तथा विश्वविद्यालय विशिष्ट निरीक्षण भी करेगा जिसका व्यय केंद्रों द्वारा वहन किया जाएगा।
9. केंद्र ऐसे समस्त पाठ्यक्रम संचालित करेगा, जिनका संचालन विश्वविद्यालय द्वारा किया जाता है।

3. शर्तें:

1. स्थापित केंद्र अपने विज्ञापन में भ्रामक शब्दों जैसे “विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त” “अग्रणी केंद्रों” या “सर्वोत्तम टापर केंद्रों” का प्रयोग नहीं करेगा।

2. कोई भी स्थापित अध्ययन केंद्र उन पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं देगा जिसके लिए उसने विश्वविद्यालय से सम्यक् अनुज्ञा नहीं प्राप्त की है।
3. विश्वविद्यालय केंद्र प्रभारी को विद्यार्थियों के अध्ययन-अध्यापन हेतु छात्रों की संख्या के आधार पर वर्चुअल क्लास के अनुरूप समस्त तकनीकी सुविधाएँ, अर्हताधारी शिक्षकों की व्यवस्था, पाठ्यक्रम के अनुरूप भवन, भौतिक अधोसंरचना, प्रयोगशाला, इण्डस्ट्रियल ट्रेनिंग विद्युत आपूर्ति एवं पेयजल की व्यवस्था स्वयं अपनी ओर से करनी होगी।
4. विश्वविद्यालय अध्ययन केंद्र/संस्था द्वारा जहाँ पर केंद्र की स्थापना की जायेगी उसकी समस्त अधोसंरचना/ उपकरण पर अध्ययन संस्था का अधिकार होगा। यदि विश्वविद्यालय द्वारा संबंधित केंद्र का संचालन बंद किया जाता है तो ऐसी स्थिति में केंद्र/संस्था की समस्त अधोसंरचना/उपकरण पर केंद्र/संस्था का अधिकार होगा।
5. एक ही संभाग/जिला/तहसील/नगर निगम/नगरपालिका/नगर पंचायत/ग्राम पंचायत क्षेत्र में जहाँ कि विश्वविद्यालय का एक अध्ययन केन्द्र/सहभागी संस्था/स्टेडी सेंटर में जो पाठ्यक्रम संचालित हो रहे हैं, यदि कोई अन्य संस्था/संस्थाएं भी उन्हीं पाठ्यक्रमों को संचालित करना चाहती है तो ऐसी संस्थाओं को पाठ्यक्रम संचालन की अनुमति नहीं दी जा सकती है। विशेष प्रकरण में कुलपति की अनुमति से निर्णय लिया जा सकता है।
6. अध्ययन केंद्र का नाम अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय होगा तथा सेवा प्रदाता अध्ययन केंद्र को अध्ययन केंद्र कोड क्रमांक आवंटित किया जावेगा। छात्रों की शुल्क भी अध्ययन केंद्र कोड क्रमांक के नाम से प्राप्त की जावेगी ताकि यह ज्ञात हो सके कि किस अध्ययन केंद्र में कितने छात्र है एवं कितनी शुल्क प्राप्त हुई। अध्ययन केंद्रों से पत्राचार भी कोड क्रमांक के माध्यम से किया जावेगा।
7. अध्ययन केन्द्र द्वारा संचालित कराये जाने वाले समस्त नवीन पाठ्यक्रमों को विश्वविद्यालय के अध्ययन मण्डल द्वारा अनुशंसित किया जाएगा।
8. शैक्षणेतर गतिविधियों को संचालित करना अध्ययन केन्द्र का दायित्व होगा।
9. अध्ययन केंद्र प्रभारी को वार्षिक आय-व्यय प्राक्कलन और अंकेक्षित लेखों की रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा।
10. छात्रों से प्राप्त शुल्क की राशि का 75 प्रतिशत अध्ययन केन्द्र के अधोसंरचना एवं अध्ययन-अध्यापन पर व्यय किया जायेगा, तथा 25 प्रतिशत राशि विश्वविद्यालय में जमा रहेगी। 75 प्रतिशत राशि का प्रथमतः 65 प्रतिशत राशि संचालित अध्ययन केंद्र को सक्षम स्वीकृति उपरान्त संस्था/अध्ययन केंद्र प्रभारी के बैंक खाते में जमा/स्थानांतरित कर दी जावेगी। 10 प्रतिशत की राशि धरोहर राशि के रूप में विश्वविद्यालय कोष में जमा रहेगी। यह राशि सत्र समाप्ति अथवा परीक्षा सम्पन्न होने के उपरांत कुलसचिव के निर्देश पर अध्ययन केन्द्र प्रभारी को स्थानांतरित कर दी जावेगी। परीक्षा शुल्क एवं परीक्षा से संबंधित अन्य शुल्क विश्वविद्यालय के खाते में जमा होगी यह अध्ययन केंद्र के खाते में जमा नहीं होगी।
11. अध्ययन केन्द्र जहाँ स्थापित किए जायेंगे वे विश्वविद्यालय के ही होंगे। उसके मालिक/संस्था से एक किरायानामा अनुबंध निष्पादित किया जावेगा जिसकी अवधि एक वर्ष की होगी। पाठ्यक्रम के पूर्ण होने तक यह अनुबंध लागू रहेगा तथा अगले सत्र/वर्ष का अनुबंध तभी निष्पादित होगा जब अध्ययन केन्द्र की वार्षिक रिपोर्ट/रिपोर्ट संतोषजनक होंगी किन्तु विश्वविद्यालय एवं भवन मालिक/संस्था को प्रतिवर्ष किराया अनुबंध संपादित करना होगा। समय-समय पर अध्ययन केंद्र का निरीक्षण किया जा सकेगा। निरीक्षण समिति के टीए/डीए का भुगतान अध्ययन केन्द्र द्वारा वहन किया जायेगा। निरीक्षण समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर उसे समीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत

4. पाठ्यक्रम संचालित करने के मानदंड :

1. कोई भी अध्ययन केंद्र, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन सोसाईटी, न्यास कंपनी या संगठन के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। विश्वविद्यालय, ऐसे शब्दों का प्रयोग जैसे कि "अखिल भारतीय केंद्रों" "भारतीय केंद्रों" " अंतर्राष्ट्रीय महाविद्यालय" अनुज्ञात नहीं करेगा।
2. केंद्र के प्रमुख, प्रभारी के पास स्नातकोत्तर उपाधि द्वितीय श्रेणी में होना चाहिए ?
3. अध्ययन केंद्र समस्त प्रकार के रजिस्टर, जैसे स्टॉक रजिस्टर, कम्प्यूटर, उपकरण पुस्तकें, फर्नीचर आदि निरीक्षण के समय प्रदर्शित करेगा तथा संबंधित दस्तावेजों की एक प्रतिलिपि विश्वविद्यालय को भेजेगा।
4. अध्ययन केंद्र उतनी संख्या में विद्यार्थियों को प्रवेश देगे जितनी कि विश्वविद्यालय विहित करे, जिसकी स्वीकृति विश्वविद्यालय देगा।
5. अध्ययन केंद्र, समस्त सुविधाओं तथा केंद्र में उपलब्ध कम्प्यूटरों के ब्यौरे प्रस्तुत करेगा और सभी उपकरण अच्छी दशा में होना चाहिए।
6. केंद्र, ऐसे पूर्णकालिक शिक्षकों को निर्धारित संख्या में अध्यापन हेतु रखे जाएंगे जिनकी शैक्षिक अर्हता यू.जी.सी. मापदण्डों के अनुसार हों ऐसे शिक्षकों की सूची एवं आत्मवृत्त विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराएगा।
7. केंद्र, विद्यार्थियों, कर्मचारियों की उपस्थिति का रजिस्टर सुव्यवस्थित रूप से अलग से रखेंगे और निरीक्षण के समय ऐसे रजिस्ट्रों को प्रदर्शित करेंगे।
8. विश्वविद्यालय, समय-समय पर आवश्यक मार्गनिर्देश/अनुदेश केंद्र को जारी करेगा और इसे अपनी वेबसाईट पर उपलब्ध कराएगा।
9. यदि विश्वविद्यालय मानदंडों में कोई संशोधन या परिवर्तन करता है तो उसे केंद्र को सूचित किया जाएगा।
10. केंद्र उन अनुदेशों का पालन कड़ाई से करेंगे, जो विश्वविद्यालय द्वारा जारी किए जाए।
11. केंद्र यह सुनिश्चित करेगा कि उपलब्ध अधोसंरचनाओं का उपयोग केवल विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों के लिए ही हो।
12. विश्वविद्यालय के अध्ययन केंद्रों को इस बात की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी कि वह किसी अन्य केंद्र को फ्रेंचाइजी के माध्यम से शिकमी (सबलेट) पर दें। यदि यह पाया जाता है कि केंद्र ने किसी दूसरे केंद्र को शिकमी (सबलेट) पर दिया है तो विश्वविद्यालय उस अध्ययन केंद्र को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने में सक्षम होगा।
13. केंद्र, विश्वविद्यालय की ओर से कोई प्रमाणपत्र या अंकसूची जारी नहीं करेगा।
14. अध्ययन केंद्र, ऐसी शुल्क प्रभारित करेगा, जो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क संरचना के अनुसार हो और विद्यार्थियों से वसूल किए गए शुल्क के बारे में विश्वविद्यालय को सूचित करेगा। केंद्र, पाठ्यक्रमों से संबंधित विहित शुल्क से न तो कम शुल्क वसूल करेगा और न ही अधिक शुल्क।
15. अध्ययन केंद्र में रजिस्ट्रीकृत विद्यार्थियों से निर्धारित रजिस्ट्रीकरण शुल्क के अतिरिक्त शिक्षण शुल्क, प्रायोगिक शुल्क, अन्य देय शुल्क का अंश विश्वविद्यालय द्वारा केंद्र से प्राप्त किया जाएगा। केंद्र वसूल किए गए शुल्क के ब्यौरे विद्यार्थियों को दी जाने वाली रसीद में प्रविष्ट करेगा।
16. अध्ययन केन्द्र स्थापित करने हेतु विश्वविद्यालय अधिनियम की कंडिका 18 के अनुसार किसी भी संस्था से दान/चंदा कम से कम रूपये 20,000/—(बीस हजार रूपये) की राशि

का डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, भोपाल के नाम से देय होगा, लिया जा सकेगा।

5. प्रवेश की पात्रता :

1. विश्वविद्यालय के सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय द्वारा विहित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता पूरी करना अनिवार्य है। अर्हता पूरी न की जाने की दशा में विद्यार्थी का प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा।
2. विश्वविद्यालय अध्ययन केन्द्रों की सम्पूर्ण प्रवेश प्रक्रिया एम.पी. ऑनलाईन के माध्यम से की जायेगी। प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय द्वारा विहित की गई प्रवेश प्रक्रिया का अनुपालन करेगा।
3. कोई भी विद्यार्थी, जिसने विश्वविद्यालय के पूर्णकालिक पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया है, किसी अन्य विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं लेगा। विश्वविद्यालय प्रत्येक विद्यार्थी को नामांकन क्रमांक जारी करेगा। विद्यार्थी को मूल स्थानान्तरण प्रमाणपत्र, आब्रजन प्रमाणपत्र तथा सत्यापित अंकसूची की फोटोप्रति और सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। किसी भी विदेशी विद्यार्थी को विश्वविद्यालय की अनुज्ञा के बिना प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
4. अध्ययन केंद्र में प्रवेश देने के लिए शासन द्वारा जारी किए गए नियमों तथा मार्गदर्शी सिद्धांतों का अनुपालन करेगा। अध्ययन केंद्र समस्त जानकारियाँ तथा प्रवेश की विशिष्टियाँ विश्वविद्यालय को देगा।
5. अन्य पिछड़ा वर्गों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, महिला तथा दिव्यांगों को शासन द्वारा समय-समय पर जारी की गई रियायतें दी जाएगी।
6. शासन के नियमानुसार छात्रवृत्ति की पात्रता होगी।

6. पाठ्य-विवरण

1. विश्वविद्यालय के अध्ययन केंद्रों को नियमों के अनुसार सैद्धांतिक कक्षाएं, प्रायोगिक कार्य, सत्रीय कार्य आदि संचालित करेगा।
2. विश्वविद्यालय अध्ययन केंद्रों को सभी प्रकार के एकेडेमिक मार्गनिर्देश देगा जिससे कि शैक्षिक गुणवत्ता के उच्च मानदंड बनाए रखने के लिए केंद्र समर्थ हो।
3. अध्ययन केंद्र की प्रगति का परीक्षण समय-समय पर विश्वविद्यालय कर सकेगा।
4. विश्वविद्यालय अध्ययन केंद्र की उपस्थिति पंजी का रख-रखाव, कक्षाओं की समय-सारिणी लाइब्रेरी, संकाय सूची और उनका बायोडाटा आदि की जांच कर सकेगा। विश्वविद्यालय, अध्ययन केंद्र का श्रेणीकरण भी कर सकेगा।

7. परीक्षाएं तथा परीक्षा केन्द्र :

1. अध्ययन केंद्र ऐसे परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा का संचालन करेगा, जैसे कि विश्वविद्यालय अनुदेश दे।
2. विद्यार्थी परीक्षा केन्द्र का चयन विश्वविद्यालय द्वारा घोषित किए गए अनुसार करेगा। जब विद्यार्थी ने एक परीक्षा केन्द्र का चयन कर लिया है तो परीक्षा केन्द्र में परिवर्तन नहीं होगा। विद्यार्थी द्वारा भरा गया परीक्षा फार्म, अध्ययन केन्द्र द्वारा विश्वविद्यालय को अग्रेषित किया जाएगा।
3. विश्वविद्यालय परीक्षा केन्द्र का अवधारण, परीक्षा केन्द्र में उपलब्ध सुविधाओं तथा अधोसंरचना के आधार पर करेगा।

4. समस्त परीक्षाएं विश्वविद्यालय के नियंत्रण तथा देख रेख में संचालित की जाएगी। परीक्षा में किसी भी अनुचित तथा अवांछनीय गतिविधियों के संबंध में निर्णय लेने के लिए विश्वविद्यालय स्वतंत्र होगा।
5. संबंधित अध्ययन केंद्र परीक्षा आयोजित करने के लिए स्थान सुनिश्चित करेगा तथा मानव शक्ति अर्थात् वीक्षक आदि की व्यवस्था करेगा। इस प्रयोजन के लिए विहित की गई दर पर भुगतान किया जाएगा।
6. अध्ययन केंद्र यह सुनिश्चित करेगा कि परीक्षा का संचालन, विश्वविद्यालय द्वारा जारी की गई परीक्षा नियमावली के अनुसार ही हो।
7. शैक्षणिक सत्र के दौरान अध्ययन केंद्र संचालन में यदि कोई गतिरोध उत्पन्न होता है तो अध्ययन केंद्र विश्वविद्यालय की अनुज्ञा प्राप्त कर एक अध्ययन केंद्र से दूसरे अध्ययन केंद्र या विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों का स्थानांतरण कर सकेगा।

8. विविध उपबंध :

1. समस्त पत्र-व्यवहार, विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार के नाम से किए जाएंगे।
2. किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश दिए गए सभी विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय के नियमों/मानदंडों की समुचित जानकारी दी जाएगी।
3. विश्वविद्यालय के समस्त नियमों का अनुपालन अध्ययन केंद्रों द्वारा ईमानदारी से किया जाएगा। किसी प्रकार के विवाद या शिकायत के संबंध में कुलपति का विनिश्चय अंतिम तथा बाध्यकारी होगा।
4. विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर, विश्वविद्यालय से संबंधित समस्त जानकारी/सूचनाएं अनुसूची, समय-सारणी, परिपत्र तथा परीक्षा परिणाम अपलोड किए जाएंगे।
5. विश्वविद्यालय का कुलसचिव लोकसूचना अधिकारी होगा तथा कुलपति अपील प्रार्थिकारी होगा।
6. किसी भी वैयक्तिक/संस्थागत विवाद की दशा में कुलपति या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किए गए किसी प्रतिनिधि का विनिश्चय अंतिम होगा तथा दोनों पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।
7. किसी भी न्यायालयीन विवाद की स्थिति में न्यायालयीन क्षेत्राधिकार भोपाल होगा।

//सहमति//

विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित अध्ययन केंद्रों से संबंधित पृष्ठ क्र. 01 से निरंतर 05 तक की सभी नियम एवं शर्तें भलीभांति सूक्ष्मता से पढ़ व समझ ली हैं तथा समस्त शर्तें स्वीकार हैं।

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

.....

.....

कुलसचिव
अबिवाहिवि, भोपाल

संस्था/केंद्र प्रमुख
केंद्र नाम.....
कोड क्र.....

